भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2844
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एमजीएनआरईजीएस के तहत एबीपी सिस्टम

2844. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति की इस सिफारिश पर विचार किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत भुगतान के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे कुछ श्रमिकों के बाहर हो जाने की संभावना रहेगी और यदि हां , तो इस सिफारिश पर सरकार का वर्तमान रवैया क्या है;

(ख) सरकार द्वारा एमजीएनआरईजीएस के तहत कम मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय क्या हैं , जिसमें श्रमिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ने की कोई योजना शामिल है;

(ग) क्या सरकार ने एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों पर राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के प्रभाव का आकलन , विशेषकर पहुंच और प्रयोज्यता के मुद्दों के संबंध में किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में एमजीएनआरईजीएस के तहत वर्तमान औसत मजदूरी दर क्या है और इन दरों की तुलना उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित कृषि मजदूरी दरों से क्या है ?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार होने वाले बदलाव और

उसके बाद अद्यतन न होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से मजदूरी के भुगतान का लाभार्थियों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे। वर्तमान में , कुल 13.55 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 99.49% का आधार से जोड़ने का कार्य पूरा हो चुका है। 100% आधार से जोड़ना और एपीबीएस को नरेगा सॉफ्ट में परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। जब भी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य हितधारक द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है , तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

(ख) और (ङ) महात्मा गांधी नरेगा की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के लिए अकुशल कार्य हेतु मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के श्रमिकों को महंगाई से बचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय हर वित्तीय वर्ष में कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर मजदूरी दरों में संशोधन करता है। मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान औसत अधिसूचित मजदूरी दर में लगभग 7% की वृद्धि हुई है।

चालू वित्त वर्ष 2024-25 (13.03.2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति श्रमदिवस औसत मजदूरी अनुबंध में दी गई है।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए , मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1 जनवरी 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए एक दिन में श्रमिकों की दो-समय स्टाम्प वाली , जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा, एनएमएमएस के कारण श्रमिकों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई कार्यस्थल नेटवर्क कवर्ड एरिया में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है , तो उपस्थिति को ऑफ़लाइन मोड में कैप्चर किया जा सकता है और डिवाइस के नेटवर्क कवर्ड

एरिया में आने पर अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के मामले में , जिसके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है , उसके लिए छूट का प्रावधान भी मौजूद है जिसे ब्लॉक प्रशासन के स्तर पर आगे विकेंद्रीकृत किया गया है।

एनएमएमएस ऐप को और अधिक मजबूत और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए , इसमें नई सुविधाएं प्रदान की गई हैं , जैसे कि आई ब्लिंक सुविधा , हेड काउंट सुविधा , मस्टर रोल के साथ मेट आईडी मैपिंग और सामुदायिक कार्यों के रैखिक प्रकारों में निकटता सीमा में छूट (अनुमेय) आदि। एनएमएमएस ऐप के उपयोग से श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने में भी मदद मिली है।

एनएमएमएस से संबंधित मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए किसी भी मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर देखा जाता है और उसे जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा , कर्मचारियों/अधिकारियों को एनएमएमएस ऐप की जानकारी देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निरंतर जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2844 दिनांक 18.03.2025 के भाग (ख) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी (13.03.2025 की स्थिति अनुसार)		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	औसत मजदूरी प्रति श्रम दिवस (रु में)
1	आंध्र प्रदेश	255.52
2	अरुणाचल प्रदेश	233.88
3	असम	248.43
4	बिहार	239.03
5	छत्तीसगढ	219.32
6	गोवा	356
7	गुजरात	248.16
8	हरियाणा	363.55
9	हिमाचल प्रदेश	270.89
10	जम्मू और कश्मीर	257.61

11	झारखंड	271.79
12	कर्नाटक	328.57
13	केरल	344.23
14	लद्दाख	258.64
15	मध्य प्रदेश	228.77
16	महाराष्ट्र	282.1
17	मणिपुर	271.61
18	मेघालय	253.9
19	मिजोरम	265.95
20	नागालैंड	233.97
21	ओडिशा	270.56
22	पंजाब	316.86
23	राजस्थान	206.51
24	सिक्किम	249.71
25	तमिलनाडु	275.14
26	तेलंगाना	213.9
27	त्रिपुरा	218.35
28	उत्तर प्रदेश	236.33
29	उत्तराखंड	236.89
30	पश्चिम बंगाल#	0
31	अंडमान और निकोबार	330.15
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	324
33	लक्षद्वीप@	0
34	पुदुचेरी	290.7
	कुल	252.63

नरेगा सॉफ्ट के अनुसार

केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 27 के तहत दिनांक 9 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

@ नरेगासोफ्ट पर उप्लब्ध सुचना के अनुसार लक्षद्वीप में वित बर्ष 2024-25 में अभी तक कोई भी श्रम दिवस का सृजन नहीं हुआ है।

****